न्यायालय उपजिलाधिकारी, हण्डिया, इलाहाबाद

वाद संख्या T201502030413372 सन 2014-2015 धारा 143ज0वि0अधि0

मौजा सलेमपुर बसगित परगना मह तहसील हण्डिया जनपद इलाहाबाद

कमल सिंह बनाम गांवसभा

निर्णय

प्रस्तुत वाद कमल सिंह पुत्र बसंत लाल नि0 ग्राम अतरौरा परगना मह के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ जिसमें कहा गया है कि मौजा सलेमपुर बसगित परगना मह की आराजी संख्या 205 रकबा 0.7480वर्ग मी0 में से रकबा 0.6980वर्ग मी0 व 191मि0 रकबा 1.0900 है0 में से रकबा 0.3420वर्ग मी0 का बैनामा बहक बाबू बसंत लाल [illegible] विद्यालय सलेमपुर परगना मह द्वारा प्रबन्धक कमल सिंह पुत्र बसंत लाल नि0 अतरौरा मुह वादी द्वारा लिया गया है। उक्त आराजी में विद्यालय का निर्माण [illegible] रहा है। उक्त भूमि जोती बोई नहीं जाती है। इसलिये इसे अकृषिक घोषित किया जाय। नियमानुसार तहसीलदार हण्डिया से जांच आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार हण्डिया ने अपनी जांच आख्या में कहा है कि [illegible] की खतौनी वर्ष 1419 फसली लगायत 1424 फसली की खाता संख्या 48 की गाटा संख्या 205 रकबा 0.7480है0 में से रकबा 0.6980है0 व खाता संख्या 58 की गाटा संख्या 191मि0 रकबा 1.0900 है0 में से रकबा 0.3420है0 पर [illegible] विद्यालय के गोदाम व कमरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ है जिसकी छत नहीं पड़ी है। उक्त आराजी पर कृषि, पुष्प, पालन, पशुपालन एवं अन्य कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा इस आशय का संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वाद संख्या टी 201502030464 आदेश दिनांक 12.06.2015 के द्वारा गाटा संख्या 205 के स्थान पर परिवर्तित गाटा संख्या 205/1 एवं गाटा संख्या 191मि0 के स्थान पर [illegible] गाटा संख्या 191/2 कर दिया गया है अतः उपरोक्तानुसार आदेश पारित किया जाय। जिसे [illegible] 2015 को स्वीकार किया गया। वादी ने अपने साक्ष्य में [illegible] की फोटो प्रति वर्ष 1419 लगायत 1424 फसली की [illegible] खतौनी दाखिल कर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। [illegible] के आधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषित [illegible] कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः मौजा सलेम्पुर बसगित परगना मह की वर्तमान खतौनी 1419 लगायत 1424 फसली की खाता संख्या 48 गाटा संख्या 205/1 रकबा 0.7480है0 में से रकबा 0.6980है0 व खाता संख्या 58 की गाटा संख्या 191/2 रकबा 1.0900 है0 में से रकबा 0.3420है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार हण्डिया की आख्या दिनांक 01.07.2015 आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक हण्डिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अ0 मि0 पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अरुण कुमार सिंह) 1-2-15

उपजिलाधिकारी हण्डिया

इलाहाबाद

TRUE COPY

[illegible]

S. D. M., HANDIA

ALLAHABAD

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 26-10-15

CamScanner